निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 91/2022
दायरा दिनांकः–4.11.2022
निर्णय दिनांकः– 29.7.24

उनवान

1. रतनलाल आयु 40 वर्ष आत्मज मथुरालाल जाति चमार निवासी भौलापुरा जे.पी. कॉलेज के सामने राधौगढ जिला गुना (मध्यप्रदेश)

बनाम

1. चतरालाल आत्मज पांचुलाल जाति चमार निवासी नीमखेडा तहसील छबडा जिला बारां राज.
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां राज0

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,91,183,188 आर0 टी0 एक्ट0

निर्णय दिनांकः– 29-7-24

अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री हरिओम शर्मा – वादी

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,91,183,188 आर.टी.ए विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय मे इस अशय का पेश किया गया कि ग्राम नीमखेडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0) में खाता संख्या 23/24 में आराजी खसरा नम्बर 371 रकबा 0.04 बिस्वा खसरा नम्बर 482 रकबा 0.07 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 0.11 बिस्वा स्थित है। जो वादी के कब्जे काश्त मं चली आ रही है। उक्त आराजी वादी की नानी गंगाबाई पुत्री देवा चमार निवासी मानपुरा तहसील छीपाबडौद जिला बारां (राज0) के नाम राजस्व रिकार्ड भु अभिलेख जमाबन्दी में दर्ज है। उक्त आराजी पैत्रिक जायदाद थी जो दैवा चमार के नाम खातेदारी में दर्ज थी। देवा चमार के फोत हो जाने के पश्चात् उक्त आराजी देवा की एक मात्र पुत्री गंगाबाई के नाम दर्ज हो गई तथा गंगाबाई का 1978 में स्वर्गवास हो जाने के बाद गंगाबाई की पुत्री व वादी की मा रोडी बाई के कब्जे काश्त में आ गई। रोडी बाई का 1998 में स्वर्गवास हो गया तब से वादी उक्त आराजी पर काबिज काश्त है। वादी रोजगार हेतु अपने गांव मानपुरा से ग्राम भौलापुरा तहसील राघौगढ जिला गुना [illegible] चला गया और वही रहने लग गया तथा उक्त आराजी मु[illegible] आ रहा था 4–5 वर्ष से उक्त आराजी प्रतिवादी चतरा आत्मज पांचुलाल [illegible] निवासी नीमखेडा तहसील छबडा को मुनाफा काश्त पर दे रखी है [illegible] के मन में उक्त आराजी हडपने के लिये नियत में बदयान्ति आ गई और जब वादी इस वर्ष उक्त आराजी का मुनाफा काश्त का रूपया लेने गया तो उसने दिनांक 21.07.2022 को उक्त आराजी का मुनाफा काश्त का रूपया देने से स्पष्ठ मना कर दिया और मॉ बहिन की

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.08.08 17:20:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

फोश–फोश गली दी तथा लडाई–झगडा करने लग गया व आराजी पर जाने से रोका व जान से मारने की धमकी दी इस कारण वाद उत्पन्न होने का कारण व दिनांक 21.07.2022 नियत किया जाकर वादपाल मियाद श्रीमान के न्यायालय में प्रस्तुत है। प्रतिवादी नम्बर 2 राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील छबडा को प्रोकार्मा पक्षकार बनाया गया है। जिन्हे वाद प्रस्तुती पूर्व धारा 80 सी0पी0सी0 का सूचना पत्र प्रेषित कर वाद पत्र अर्जेन्ट नैचर का होने से धारा 80(2) सी0पी0सी0 प्रार्थना पत्र के साथ तुरन्त सुनवाई हेतु वाद पत्र श्रीमान के न्यायालय में पेश है। वादी अपनी नानी गंगाबाई की एक मात्र पुत्री रोडी बाई का एक मात्र पुत्र है। और कोई वारिस नही होने से हिन्दु उत्तराधिकार अधिकार के अनुसार वादी ही उक्त आराजी का वास्तविक मौलिक है। वादी ने दिनांक 21.07.2022 को हल्का पटवारी व राजस्व अधिकारियों से उक्त आराजी स्वंय के नाम खातेदारी में दर्ज करने का निवेदन किया तो उन्होने श्रीमान के न्यायालय में कार्यवाही करके आदेश लाने की कहां इस कारण यह वाद पत्र पेश किया जा रहा है। वादी उक्त विवादग्रस्त आराजीयात का वास्तविक मालिक है। जिसे पुनः उक्त आराजी का सीमाज्ञान करवाकर सीमा चिन्ह स्थापित करवाकर पुनः कब्जा काश्त प्राप्त कराने का व प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का पूर्णत वैधानिक अधिकार प्राप्त है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नही होने के कारण उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई। वादी ने अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम नीमखेडा तहसील छबडा सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 23 नकल नक्शा ट्रेस ग्राम नीमखेडा फोटो प्रति आधार कार्ड रामरतन, मृत्यु प्रमाण पत्र गंगाबाई मृत्यु प्रमाण पत्र रोडी बाई पेश किया गया।

बहस अभिभाषक वादी सूनी गई बहस के दौरान वकील वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम नीमखेडा तहसील छबडा में स्थित है। विवादित भूमि वादी की नानी गंगाबाई पुत्री देवा निवासी मानपुरा खातेदारी में चली आ रही है विवादित आराजी देवा के खातेदारी की थी देवा के फोत होने के बाद उनकी पुत्री गंगाबाई के खाते दर्ज हुई। गंगाबाई की मृत्यु हो गई है गंगा बाई की पुत्री व वादी की मॉ रोडी बाई के कब्जे काश्त में चली आ गयी। रोडी बाई की मृत्यु 1998 में हो गई तब से वादी काश्त करता चला आ रहा है मृतक गंगाबाई के एक मात्र वारिस वादी की मॉ थी जिसका भी स्वर्गवास हो गया है वादी विवादित आराजी को पांती मुनाफा से चतरा को काश्त हेतु दे रखी थी प्रतिवादी के मन मे बेईमानी आ जाने के कारण मुनाफा राशि देने से इनकार कर दिया। वादी अपनी नानी गंगाबाई की एक मात्र पुत्री रोडीबाई का एक मात्र पुत्र है ओर कोई वारिस नही होने से हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार वादी ही उक्त आराजी का मालिक है वादी की भूमि से प्रतिवादी को बेदखल कर कब्जा वादी को दिलाया जावे। तथा प्रतिवादी को पाबन्द किया जावे कि वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी नही करे। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.08.08 17:20:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

बहस अभिभाषक वादी सूनी गई पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम नीमखेडा सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 23 के अनुसार गंगाबाई पुत्री देवा चमार के नाम दर्ज है इससे यह साबित होता है कि विवादित आराजी गंगाबाई के खातेदारी मे है मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 20.09.2003 के अनुसार गंगाबाई की मृत्यु दिनांक 05.03.1978 को हो चुकी है वादी द्वारा गंगाबाई की एक मात्र पुत्री रोडीबाई को बताया गया है परन्तु रोडी बाई गंगाबाई की पुत्री थी इससे सम्बन्धित कोई दस्तावेज साक्ष्य/सबूत पेश नही किया जिससे यह प्रमाणित हो सके की रोडीबाई गंगाबाई की पुत्री थी। अर्थात वादी अपने आप को गंगाबाई का वारिस साबित नहीं कर सका है। इसलिए वादी को खातेदारी अधिकार अन्तर्गत धारा 88 आरटी एक्ट प्रदत्त नहीं हो सकते। अतः इस वाद पत्र को निम्नानुसार निर्णित किया जाता है–

1. वादी अपने आपको गंगाबाई पत्नी देवा का वारिस साबित कर फौती इंतकाल खुलवाने के लिए स्वतंत्र है।
2. वादी द्वारा वाद–पत्र में स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है। चूंकि वादी अभी तक स्वयं खातेदार ही नहीं है अतः स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष वादी को अनुज्ञेय नहीं है। अतः वादी का वाद खारिज किए जाने योग्य है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद चलने योग्य (मेन्टेनेबल) नही होने के कारण खारिज किया जाता है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.08.08 17:20:42 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां (राज0)

डिक्री

वाद संख्या 91/2022	धारा 88,89,91,183,188 आर टी एक्ट	निर्णय दिनांक:– 29.07.2024

समक्ष : श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां

उपस्थिति :अभिभाषकवादी:–श्री हरिओम शर्मा–वादी	अभिभाषक प्रतिवादी:–श्री

वाद शीर्षक

1. रतनलाल आयु 40 वर्ष आत्मज मथुरालाल जाति चमार निवासी भौलापुरा जे.पी.कॉलेज के सामने राघौगढ जिला गुना (मध्यप्रदेश)

बनाम

1. चतरालाल आत्मज पांचुलाल जाति चमार निवासी नीमखेडा तहसील छबडा जिला बारां राज.
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां राज0

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तद्नुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादी का वाद चलने योग्य (मेन्टेनेवल) नही होने के कारण खारिज किया जाता है।

साथ ही नियमानुसार ..... रू0 का व्ययानुतोष ..... द्वारा ..... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एव न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 29.07.2024 को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

व्ययानुतोष			
क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वदपत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषकपत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थनापत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिकअभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीसकमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (:)		
10.	योग		

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.08.08 17:20:42 IST
Reason: SelfAttested